राजस्थान–सरकार

कार्यालय वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक, खान एवं भू विज्ञान विभाग,सिरोही

खनिज भवन मुख्य डाकघर के सामने तीन बत्ती चौराहा, सिरोही
ईमेलरू- sg.sirohi@rajasthan.gov.in

क्रमांकः व.भू.वै. / सिरोही / निविदा / 2024–25 / दिनांकः 18.11.2024

खुली निविदा आमन्त्रण सूचना 01 / 2024–25

कार्यालय वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सिरोही के अधीन खनिज सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण हेतु आऊटसोर्सिंग पर करवाये जाने वाले कार्यो बाबत् विभिन्न सम्बन्धित परियोजनाओं पर निम्न तालिका अनुसार कार्य किये जाने है। उक्त समस्त कार्य करने हेतु राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकृत फर्म / एजेन्सी / संस्थानों से खुली निविदाये मोहरबन्द लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। निविदायें दिनांक **04.12.2024** को प्रातः 11.00 बजे तक प्राप्त की जाकर उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कक्ष में खोली जावेगी। ये निविदायें वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये तथा नियमानुसार विस्तारित अवधि के लिये विधिमान्य होंगी जिसकी अवधि आपसी सहमति से नियमानुसार बढ़ायी जा सकती है। निविदा आमन्त्रण दस्तावेज यथा प्रारूप, शर्ते एवं संलग्नक इत्यादि निविदा शुल्क की राशि 200 / –(रूपये दौ सौ रूपये मात्र) नकद या पे आर्डर के रूप में जमा करवाकर (जो लौटाने योग्य नहीं होगी) कार्यालय समय में निविदा राजस्थान लोक उपापन के स्टेट पोर्टल की वेबसाईट http://sppp. rajasthan. gov.in पर अपलोड होने की तिथि से कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे। बिड सिक्यूरिटी राशि डी.डी. अथवा बैंकर चैक के रूप में संलग्न की जावें। निविदा या निविदा के किसी भी भाग को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

क्रं. सं.	निविदा कार्यो का विवरण	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	कार्य की अनुमानित लागत	बिड सिक्यूरिटी राशि	निविदा शुल्क
1	2		3	4	5
1.	विभागीय परियोजनाओ से सम्बन्धित कार्य, खनिजों के डेंलिनियेशान सबंधी कार्य,एम.एल. /पी.एल./सी.एल. क्षैत्रो पर आवशयक कार्य यथा सेम्पलिंग (सेम्पल कलेक्शन एव सेम्पल पिप्रेशान) का कार्य, सर्वे से सबंधित कार्य , सर्वे उपकरणों इत्यादि की सुरक्षा एव रखरखाव का कार्य, परियोजना पर पिटिंग/ट्रेन्चिग करवाना, केम्प चौकीदारी एव संचालन सबंधी एवं निर्देशाानुसार अन्य सम्बन्धित कार्यो को आउटसोर्सिंग के	अकुशल–3 अर्द्धकुशल–2	03 लाख /– रू. (अक्षर रू0 तीन लाख मात्र)	10000 /– रू. (अक्षरे रू. दस हजार मात्र)	200 /– रू. (अक्षरे रू. दो सौ मात्र)

RajKaj Ref
11824934

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Chauhan
Designation : Senior Geologist
Date: 2024.11.18 13:10:22 IST
Reason: Approved

	आधार पर पूरा करना।				

समस्त निविदादाताओं को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम' 2012 एव 'नियम' 2013 के अध्याधीन अन्य आवश्यक शर्तो तथा निविदा में सम्मलित शर्तो की पालना व सभी आवश्यक दस्तावेजों को सम्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा, जिसकी प्रमाणिकता व पालना की समस्त जिम्मेवारी निविदादाता की होगी।

(दिनेश कुमार चौहान)
वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सिरोही

क्रमांक – वभूवै / सिरोही / निविदा / 2024–25 /   दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नांकितो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान जिला कलक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
2. श्रीमान् निदेशक महोदय, निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयुपर।
3. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक भू–विज्ञान (मुख्यालय), निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयुपर।
4. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक भू–विज्ञान, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर जोन उदयुपर।
5. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार, निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयुपर।
6. नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस., निदेशालय, उदयपुर को भेजकर निवेदन है कि निविदा आमन्त्रण सूचना, प्रारूप एवं भार्ते तथा संलग्नक विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें
7. स्टोरकीपर, कार्यालय हाजा को भेजकर निर्देश है कि निविदा आमन्त्रण सूचना प्रारूप एवं भार्ते तथा संलग्नक RajasthanState Public Procurement Portal की वेबसाई http://sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें
8. नोटिस बोर्ड, कार्यालय वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सिरोही
9. श्री उम्मेद सिंह सहायक लेखाधिकारी प्रथम, कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जालोर

वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक
सिरोही

RajKaj Ref
11824934

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Chauhan
Designation : Senior Geologist
Date: 2024.11.18 13:10:22 IST
Reason: Approved

राजस्थान–सरकार
कार्यालय वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक, खान एवं भू विज्ञान विभाग,सिरोही
खनिज भवन मुख्य डाकघर के सामने तीन बत्ती चौराहा, सिरोही
ईमेलः- **sg.sirohi@rajasthan.gov.in**

खुली निविदा का प्रारूप

1. विभागीय परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्य, खनिजों के डेलिनियेशन सबंधी कार्य,एम.एल. / पी.एल. / सी.एल. क्षैत्रों पर आवश्यक कार्य यथा सेम्पलिंग (सेम्पल कलेक्शन एवं सेम्पल पिप्रेशन) का कार्य, सर्वे से सबंधित कार्य, सर्वे उपकरणों इत्यादि की सुरक्षा एव रखरखाव का कार्य, परियोजना पर पिटिंग / टेन्चिग सम्बन्धित कार्य, केम्प चौकीदारी कार्य एव संचालन सबंधी एवं निर्देशानुसार अन्य सम्बन्धित कार्यो को आउटसोर्सिंग के आधार पर पूरा करना होगा।
2. निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की प्रारम्भिक तिथिः–
3. निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि :– 04.12.2024 प्रातः 11:00 बजे तक
4. निविदा प्रस्तुत करने वाली संस्था / एजेन्सी का नाम, डाक का पता व टेलिफोन नं.:–
   ....
   ....
5. किसको सम्बोधित किया जाना है :– वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सिरोही
6. संदर्भः– निविदा संख्या **001 / 2024–25**
7. अनुमानित लागत :– **रू. 03 लाख (अक्षरे रू. तीन लाख मात्र)**
8. निविदा सूचना संख्या 001 / 2024–25 जो कि वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सिरोही द्वारा जारी की गई है, में वर्णित समस्त शर्तो की पालना करने के लिए मै / हम सहमत है तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्ते जो संलग्न पृष्ठों में दी गयी है (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनके वर्णित शर्तो को मेरे / हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप मैने / हमने हस्ताक्षर कर दिये है) का पालन करने के लिए भी सहमत है एवं निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तो तथा राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियमों व निर्देशों से बाध्य होना स्वीकार करते है।
9. मैं / हम निविदाकार द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न हैः–

क्रं. सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम,1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)				
5.	आयकर (पेन नं.)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट,1956 के अन्तर्गत				
7.	बैंक खाता नं., बैंक का नाम, आई.एफ.एस.सी. कोड के लिये पासबुक की प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि				

RajKaj Ref
11824934

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Chauhan
Designation : Senior Geologist
Date: 2024.11.18 13:10:22 IST
Reason: Approved

10. मै / हम निविदाकार सेवाओं के उपापन के लिए निम्नलिखित दरें प्रस्तुत कर रहे है (दरें ...

क. स.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	विभागीय परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्य, खनिजों के डेंलिनियेशन सबंधी कार्य,एम.एल. / पी.एल. / सी.एल. क्षेत्रों पर आवश्यक कार्य यथा सेम्पलिंग (सेम्पल कलेक्शन एवं सेम्पल पिप्रेशन) का कार्य, सर्वे से सबंधित कार्य , सर्वे उपकरणों इत्यादि की सुरक्षा एव रखरखाव का कार्य, परियोजना पिटिंग / ट्रेन्चिग करवाना एव संचालन सबंधी एवं निर्देशानुसार अन्य सम्बन्धित कार्यो को आउटसोर्सिंग के आधार पर पूरा करना।	1.अकुशल–3 2.अर्द्धकुशल–2	7410 रूपये प्रतिमाह 7722 रूपये प्रतिमाह (श्रम विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार)		13 प्रतिशत (निर्धारित प्रचलित दर अनुसार)	3.25 प्रतिशत (निर्धारित प्रचलित दर अनुसार)		

निविदा की शर्तेः–

11. निविदा सूचना में "दिये गये निर्देशों" के अनुसार यथोचितरुप से निविदा को मुहरबंद लिफाफे में बंद करके भिजावें / प्रस्तुत करें।

12. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

13. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

14. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

15. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

RajKaj Ref
11824934

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Chauhan
Designation : Senior Geologist
Date: 2024.11.18 13:10:22 IST
Reason: Approved

16. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा तथा इसका पूर्ण दायित्व अनुमोदित निविदाकार का होगा। जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौति और संवेदक का अंशदान भाामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

17. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेगें, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

18. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

19. संवेदक द्वारा श्रमिको को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थित में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

20. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उप नियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उप नियमों, अधिसूचनाओं, दिशा निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

21. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

22. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

23. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

24. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो इस कार्यालय द्वारा इस सबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही की जावेगी।

25. संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

26. निविदाकार निविदा के साथ आयकर शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें।

27. टेण्डर फार्म स्याही अथवा टंकण द्वारा भरा जा सकेगा। पेंसिल से भरा गया टेण्डर फार्म स्वीकार्य नहीं होगा। निविदाकार टेण्डर फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर एवं अन्त में टेण्डर की समस्त शर्तो की स्वीकृति के प्रतीक स्वरुप हस्ताक्षर करेगें।

28. दरें अंकों एवं शब्दों में लिखी जानी चाहिए। किसी प्रकार का संशोधन होने पर अथवा त्रुटि होने पर उसे स्पष्ट दर्शाया जाना चाहिए एवं दिनांक सहित लम्बे हस्ताक्षर प्रमाणन हेतु किये जाने चाहिए।

29. समस्त दरें एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन होगी। श्रमिकों के कार्य स्थल तक आने जाने के लिये किसी प्रकार का गाड़ी भाड़ा/यातायात प्रभार देय नहीं होगा।

30. टेण्डर खोले जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के लिए स्वीकृति निर्णयन हेतु

RajKaj Ref
11824934

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Chauhan
Designation : Senior Geologist
Date: 2024.11.18 13:10:22 IST
Reason: Approved

31. अनुमोदित निविदाकार के संबंध में समस्त शर्तों या वैधानिक उत्तरदायित्वों आदि के अर्थ के संबध में कोई संदेह हो तो उसे निविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व प्रभारी अधिकारी से पूछताछ कर संदेह दूर कर लेना चाहिए।
32. निविदाकार अपनी निविदा अथवा सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और ना किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।
33. कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा कार्य की आवश्यकता नहीं रहने की स्थिति में प्रदाय की संविदा को किसी भी समय निराकृत (रेप्युडिएट) किया जा सकता है। कार्य की आवश्यकतानुसार श्रमिको की संख्या घ टाने/बढाने का अधिकार कार्यालयध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगा ।
34. निविदा स्वीकार होने के बाद आपूर्ति ओदश जारी होने के तीन दिवस के भीतर अनुमोदित निविदाकार कार्य शुरु करायेगा।
35. यदि निविदा सूचना में दर्शायी गई मात्रा से नियमानुसार अधिक मात्रा में कार्य हेतु आदेश दिया जाता है तो निविदाकार ऐसी आदेशित मात्रा की आपूर्ति के लिये बाधित होगा। निविदा में दी गई दरों एवं शर्तों के अधीन रहते पुनरावृति आदेश (रिपिटेड ऑर्डर) दिये जा सकते है। पुनरावृति आदेश मूल आदेश की मात्रा के 50 प्रतिशत तक के लिये हो सकेगा एवं ऐसा आदेश अंतिम आपूर्ति के 2 माह के भीतर दिया जा सकेगा। अगर निविदाकार ऐसी आपूर्ति करने में असफल रहता है तो कार्यालयाध्यक्ष सीमित निविदा अथवा अन्य श्रमिकों की व्यवस्था करने के लिये स्वत्रंत होगा। ऐसी स्थिति में कोई अतिरिक्त व्यय होगा तो अनुमोदित निविदाकार से वसूलनीय होगा।
36. यदि कार्यालयाध्यक्ष कार्य का कोई आदेश देता है अथवा कार्य की मात्रा कम करने का आदेश देता है तो अनुमोदित निविदाकार किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति करने का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।
37. आकस्मिक कार्य की आपूर्ति वास्तविक आकस्मिकता उत्पन्न होने पर मांग किये जाने पर करनी होगी। ऐसी मांग प्रति श्रमिक अधिकतम 15 दिवस प्रतिमाह के लिये हो सकेगी। आकस्मिकता उत्पन्न न होने पर ऐसे किसी श्रमिक की सेवायें नहीं ली जावेंगी।
38. अरनेस्ट मनी (धरोहर राशि) रुपये 4000/– मात्र (अक्षरे चार हजार मात्र) नकद ट्रेजरी चालान/बैंक ड्राफ्ट अथवा अनुसूचित बैंक के बैंकर्स चैक के माध्यम से जमा कराई जा सकती है। केन्द्र सरकार व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के लिये अरनेस्ट राशि जमा कराना आवश्यक नहीं है।
39. निम्न परिस्थितियों में अरनेस्ट मनी/बिड सिक्योरिटी जब्त कर ली जावेगीः–
   - जब अनुमोदित निविदाकार टेण्डर खुलने के बाद लेकिन स्वीकृति से पूर्व प्रस्ताव हटाता (विड्रो करता) है, अथवा इसमें परिवर्तन करता है।
   - जब अनुमोदित निविदाकार निहित समय के भीतर अनुबन्ध का सम्पादन नहीं करता है।
   - जब अनुमोदित निविदाकार आपूर्ति आदेश दिये जाने के बाद सिक्योरिटी डिपोजिट जमा नहीं कराता है।
   - जब अनुमोदित निविदाकार कार्य आदेश के अनुसार निहित समय के भीतर कार्य करने में असफल रहता है।
40. अनुमोदित निविदाकार को कार्य आदेश मिलने के 3 दिवस के भीतर अनुबन्ध का निष्पादन कराना होगा। अनुबन्ध पत्र के साथ रुपये 9500/– मात्र अक्षरे (नो हजार पांच सौ मात्र मात्र) की राशि (कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रुपये 1.90 लाख का 5 प्रतिशत) एफ.डी.आर. के रुप में सिक्योरिटी जमा करवाकर एफ.डी.आर. इस कार्यालय को सौंपनी होगी जो अनुबन्ध की अवधि तक कार्यालय में ही जमा रहेगी।
41. उक्त अनुबन्ध की अवधि निविदा सम्पादित होने की दिनांक से वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये तथा नियमानुसार विस्तारित अवधि के लिये विधि मान्य होगी, जिसकी अवधि पारस्परिक सहमति से नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी।
42. अरनेस्ट मनी को सिक्योरिटी डिपोजिट के विरुद्ध समायोजित किया जा सकेगा। सिक्योरिटी डिपोजिट पर विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
43. निम्न मामलों में सिक्योरिटी अंशतः/पूर्णतः जब्त की जा सकेगी।
   - संविदा की शर्तों के भंग होने की स्थिति में।
   - जबकि अनुमोदित निविदाकार सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहे।

RajKaj Ref 11824934

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Chauhan
Designation : Senior Geologist
Date: 2024.11.18 13:10:22 IST
Reason: Approved

- सिक्योरिटी डिपोजिट की जब्ती के लिये उचित समय का नोटिस दिया जावेगा। इस बाबत कार्यालयाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

44. अनुबन्ध के सम्पादन एवं मुद्रांकन (स्टाम्पिंग) का व्यय अनुमोदित निविदाकार द्वारा वहन किया जावेगा। विभाग को बिना कोई मूल्य चुकाये मुद्रांकित अनुबन्ध की प्रति उपलब्ध कराई जावेगी।

45. कार्य की अवधि 8 घंटे प्रति श्रमिक, प्रति श्रमिक दिवस होगी। पागल, बालक (18 वर्ष से कम) एवं विकलांग श्रमिकों की सेवायें स्वीकार नहीं की जावेगी। कार्य स्थल पर श्रमिकों को स्वंय के साधन से पहुंचना होगा।

46. अनुबन्ध अवधि के दौरान यदि श्रमिक/श्रमिकों द्वारा कोई न्यायिक प्रकरण/लिटिगेशन दायर किया जाता है तो उसके लिये अनुमोदित निविदाकार पूर्ण रुप से उत्तरदायी होगा।

47. श्रमिक हितों के संरक्षण का एक मात्र दायित्व अनुमोदित निविदाकार का रहेगा। श्रम कल्याण के लिये अपेक्षित सुविधायें अनुमोदित निविदाकार द्वार उपलब्ध कराई जायेगी। इस संबंध में विभाग को श्रमिकों के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

48. अनुबन्ध द्वारा आउट सोर्सिंग से कराये जाने वाले कार्य हेतु अनुमोदित निविदादाता द्वारा लगाये गये श्रमिकों द्वारा उठायी गई किसी प्रकार की शिकायत को सुनने के लिये विभाग बाध्य नहीं है।

49. दुर्घटना या अन्य किसी आकस्मिकता के घटने की स्थिति में अनुमोदित निविदाकार का उत्तरदायित्य होगा।

50. ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा चोरी या सरकारी सम्पति का नुकसान किये जाने पर उसकी वसूली अनुमोदित निविदाकार से की जावेगी।

51. यदि निविदाकार ऐसी शर्त लगाता है जो यहां उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त है अथवा इनके विपरित है तो उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है। किसी स्थिति में ऐसी कोई शर्त स्वीकृत हुई नहीं समझी जावेगी, जब तक इसकी लिखित स्वीकृति कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी नहीं कर दी जाती है।

52. किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि वह न्यूनतमक निविदा ही हो। कार्यालयाध्यक्षको किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने अथवा एक या एक से अधिक निविदा को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

53. अनुमोदित निविदाकार को सम्पादित किये जाने वाले कार्य के भुगतान बिल प्रतिमाह प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान विभागीय अनुमति प्राप्त होने तथा कोष कार्यालय से आहरित होने पर किया जायेगा। विलम्ब का ब्याज देय नहीं होगा। यदि अनुमोदित निविदाकार प्रतिमाह बिल प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी प्रतिभूति राशि जब्त कर स्वीकृति निरस्त कर द्वितीय न्यूनतम निविदा दाता को ठेका देने के लिये कार्यालयाध्यक्ष स्वंत्रंत होगा।

54. यदि संविदा के निर्वचन, अर्धान्यन एवं संविदा की शर्तों के भंग संबंधी कोई वाद उत्पन्न होता है तो सविंदा के पक्षकारों द्वारा प्रकरण कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जावेगा। कार्यालयाध्यक्ष अपने वरिष्ठ अधिकारी को एकमात्र आर्बिट्रटर (पंच) के रुप में नियुक्त करेगा, जो मामलों के बाद अपना जो भी निर्णय देगा वह निर्णय अंतिम होगा।

55. समस्त कार्य आउट सोर्सिंग के आधार पर रेप्सर एक्ट को ध्यान में रखते हुए करना होगा।

56. किसी भी पक्ष (सरकार एवं संविदाकार) द्वारा कानूनी कार्यवाही संस्थित किये जाने की स्थिति में न्यायालय का क्षैत्राधिकार सिरोही ही होगा।

57. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार कार्यालयाध्यक्ष में निहित होगा।

58. करों की कटौति नियमानुसार बिल सेस इत्यादि से की जावेगी।

59. इण्डियन लेबर कान्ट्रेक्टर (Regulation and Abolition Act 1970) एवं इनके अन्तर्गत बने नियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अद्यतन प्रावधानों की पालना करने के लिये अनुबन्धकर्ता बाध्य होगा।

60. आउट सोर्सिंग पर कार्य सिरोही जिले में विभाग द्वारा खनिज पूर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण संबधी कार्य हेतु किया जावेगा तथा आउटसोर्सिंग से श्रमिक लगाने हेतु अनुमोदित निविदाकार द्वारा सीधे रूप से विभाग को किन्हीं व्यक्तियों की सेवायें नहीं दी जावेगी, न ही किन्हीं व्यक्तियों को एजेन्सी के माध्यम से अनुबंधित किया जावेगा।

RajKaj Ref
11824934

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Chauhan
Designation : Senior Geologist
Date: 2024.11.18 13:10:22 IST
Reason: Approved

हस्ताक्षर निविदादाता

RajKaj Ref
11824934

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar
Chauhan
Designation : Senior Geologist
Date: 2024.11.18 13:10:22 IST
Reason: Approved